वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 212 (अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवां परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तिमलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरूणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 3 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।"।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.िन. 212(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 36/2020- केन्द्रीय कर दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के द्वारा किया गया था जिस को सा.का.िन. 236 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2020

### No. 54/2020 - Central Tax

**G.S.R. 407(E).**—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2020 – Central Tax, dated the 23<sup>rd</sup> March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 212 (E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2020, namely:–

In the said notification, in the first paragraph, after the fifth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

"Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the

return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 1<sup>st</sup> day of October, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 3<sup>rd</sup> day of October, 2020."

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note:** The principal notification number 29/2020 – Central Tax, dated the 23<sup>rd</sup> March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.212(E), dated the 23<sup>rd</sup> March, 2020 and was last amended vide notification number 36/2020 – Central Tax, dated the 3<sup>rd</sup> April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.236(E), dated the 3<sup>rd</sup> April, 2020.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

### सं 02/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 408(अ).—सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰10/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 747(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसुचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

## तालिका

क्र.सं.	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग	ब्याज की दर	कर अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा	शून्य प्रतिशत, और	फरवरी, 2020